

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

हुजानलाल

विपक्षी

२०५१

२१२ २२२००

पत्रावली संख्या

१६/२१

सन

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा  
सूचनाएं जारी की गईं

३१/८/२१

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/  
प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठारसीन  
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग  
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में  
दिनांक.....को पेश हो।

२९/९/२१

२९/९/२१

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/  
प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठारसीन  
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग  
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में  
दिनांक.....को पेश हो।

२१/१२/२१

०२/११/२१

पत्रावली रिलब की गई। 'प्रशासन गांवों के  
संग अभियान-२०२१' आयोजित किया जाने  
से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को  
सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प-  
दिनांक २२/११/२१.....को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली

२२/११/२१

पत्रावली आज कैम्प में पेश हुई।  
प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-  
नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली  
पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय  
हाजा में दिनांक-१५/०३/२२...को  
पेश हो।

सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली

१५/३/२२

वकील प्रार्थी/प्रतिवादी उप./ पत्रावली T. 1.  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः अवेबिध  
प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक २३/५/२२  
को पेश हो।

SDO मावली



23/5/22

पत्रावली पेश हुई। बकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/  
प्रतिवादी/विपक्षी/रक्षा उपस्थित/बीडालीन  
अधिकारी मन्ने आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग  
में पक्षरहित हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की फालत में  
दिनांक 19/8/22 को पेश हो।

19/12/22

बकुलान वादी/प्रतिवादी उप. जवाब ट I  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः जांतिप  
प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 19/12/22  
को पेश हो।

  
SDO मावली

19/12/22

बकुलान वादी/प्रतिवादी उप. जवाब ट I  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः जांतिप  
प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 18/01/23  
को पेश हो।

  
SDO मावली

12/01/23

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मध्य  
प्रार्थी अनुपस्थित, आवजे दिलवाई गई। समय  
शाम 5:00 PM हो चुका है। अनुपस्थित हैं।  
अतः अधिवक्ता मध्य प्रार्थी अनुपस्थित रहने  
पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अफम हाजरी अफम  
फैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल  
सुमर लेकर नम्बर से कम हों।  
निर्णय खुले-घायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली